UPMZ010075202026

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर**

**पीठासीन अधिकारी–** (Sri Vishnu Chandra Vaish), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06126**

**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2999 सन 2026**

दीपक पुत्र धर्मेन्द्र कुमार,
निवासी ग्राम बुडीना कलां, थाना तितावी, जिला मुजफ्फरनगर।

–आवेदक/अभियुक्त।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य

–अभियोजन पक्ष।

मु0अ0सं0–100 सन् 2025
धारा–131, 191(2), 115(2), 110 बी0एन0एस0
थाना–तितावी, जिला–मुजफ्फरनगर।

**दिनांकः–24.06.2026**

**1.** आवेदक/अभियुक्त **दीपक पुत्र धर्मेन्द्र कुमार** के द्वारा थाना–तितावी, जिला–मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत उपरोक्त उल्लिखित प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के शपथ पत्र से समर्थित है।

**2.** संक्षेप में वादिया सुन्दरी द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2025 को शाम के समय उसके पुत्र जोनी के फोन पर 9760809606 से जोनी के नं0 पर काल आया जिस पर आस्था पुत्री पप्पन निवासी ग्राम व पोस्ट बुढीना कलां की रहने वाली है। उसने कहा कि तुमसे बात करनी है। तुम मेरे घर बुढीना कला आ जाओ, क्योंकि इनकी बात काफी लंबे समय से चल रही थी। जब उसका पुत्र वहां पर पहुंचा तो उसके परिवारवाले जो घात लगाए बैठे थे, उन्होंने उसके पुत्र जोनी पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। हमला करने वालों में रोहन, दीपक, सूरज, जतिन, संदीप व जयप्रकाश निवासी ग्राम बुढीना कलां थाना तितावी व अमर भी शामिल था। इन सभी ने उसके पुत्र जोनी पर लाठी डंडों व लात घुसों से मार मार कर अधमरा हालत में जंगल में मरा समझकर डाल दिया और दिनांक 07.04.2025 को जब उन्हें पता चला तो वे यहां आए तो उसके पुत्र की हालत मरणासन्न थी, तभी उसको उठाकर उपचार के लिए ले गए।

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.24 14:12:04 IST
Reason: SESSION BAIL
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

**3.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कथित अपराध बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत किसी प्रतिबन्धित संगीन धाराओ/अपराध से सम्बन्धित नही है तथा आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नही किया है। आवेदक/अभियुक्त को रंजिश के कारण झूठा फंसाया है। आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ दिखाया गया अपराध कतई गलत व बेबुनियाद है जिसमे पुलिस आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहती है। जबकि आवेदक/अभियुक्त ने ऐसी कोई घटना नही की है तथा न ही चुटैल के साथ कोई मारपीट की है बल्कि रंजिशन उपरोक्त मुकदमे में कतई झूठे व निराधार तथ्यो के आधार पर झूठा मुल्जिम बनाया गया है। उपरोक्त मुकदमे में सहअभियुक्तगण सूरज पुत्र नरेन्द्र, संदीप पुत्र नरेन्द्र, जयप्रकाश पुत्र नरेन्द्र की अग्रिम जमानत संख्या 3007/2025 दिनांक 17.07.2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1 मुजफ्फरनगर तथा अमर पुत्र सुनील, जतिन पुत्र देवेन्द्र उर्फ पप्पन, रोहन उर्फ मनदीप पुत्र नरेन्द्र की अग्रिम जमानत संख्या–3845 सन् 2025 दिनांक 06.08.2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1 मुजफ्फरनगर द्वारा मंजूर हो चुकी है तथा आवेदक/अभियुक्त का भी उक्त कथित घटना में सेम रोल दिखाया है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त पैरिटी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में माननीय न्यायालय से अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी है, तथा उसे माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी जानी न्यायोचित है। सम्बन्धित अग्रिम जमानत आदेश की छायाप्रति एनेक्चर नं0–1 व 2 मय शपथपत्र दाखिल किये गये है। उपरोक्त मुकदमे की कथित दिनांक से अगले दिन आवेदक/अभियुक्त की कक्षा–12 की परीक्षा थी, जिसकी तैयारी आवेदक/अभियुक्त अपने कमरे मे कर रहा था, और शोर शराबा सुनकर आवेदक/अभियुक्त के पिता भी अपने घर के बाहर ही रूक गये थे, तथा आवेदक/अभियुक्त अपने कमरे मे था जो स्थल पर नही गया था, और न ही उसके द्वारा कोई घटना कारित की गयी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 31.05.2025 को उपरोक्त के सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त के पिता धर्मेन्द्र पुत्र अमरनाथ तथा आस–पडौस के जयदास पुत्र किशन, रोहताश पुत्र श्याम सिंह, सतबीरा पुत्र रामस्वरूप, लोकेश पुत्र अमरनाथ, मुरारी पुत्र छोटा, धर्मेन्द्र पुत्र अमरनाथ आदि समस्त निवासीगण ग्राम बुडीना कलां, थाना तितावी जिला–मुजफ्फरनगर द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के समक्ष अपने शपथपत्र उपरोक्त मुकदमे की विवेचना में शामिल करने के उददेश्य से बजरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किये थे, जो केस डायरी का भाग है। उक्त मुकदमे की कथित घटना दिनांक 06.04.2025 की होनी बतायी गयी है जबकि घटना का समय प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नही दर्शाया गया है और उक्त कथित घटना के सम्बन्ध मे उक्त एफ०आई०आर० लगभग एक माह बाद दर्ज करायी गयी है। घटना के तुरन्त बाद वादिया द्वारा चुटैल का किस डॉक्टर के यहां ईलाज कराया गया तथा कितनी चोटे चुटैल की थी किस प्रकार की चोटे थी। ऐसा कोई भी मेडिकल अथवा किसी भी डाक्टर का प्रमाण पत्र नही है, ओर न ही

कोई ईलाज के कागजात है। इसके अलावा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्वतंत्र साक्षी नही दर्शाया गया है और न ही वादिया जहां से अपने पुत्र को उठाकर लाई है उस स्थान का कोई साक्षी दर्शाया गया है और न ही पीडित का कोई मेडिकल घटना के तुरन्त बाद का है और जो ईलाज के कागजात चुटैल के पत्रावली में दाखिल है, घटना से 10 दिन बाद के है और कथित घटना से शुरू किये गये ईलाज के बीच की अवधि जो 10 दिन है का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है, और डाक्टर द्वारा अपने बयान (केस डायरी पर्चा संख्या–10 के पेज नं0–5) आदि मे उक्त गंभीर चोट किडनी सम्बन्धी का उक्त मुकदमे की कथित घटना में आने सम्बन्धी कोई पुष्टि नहीं की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना से करीब एक माह बाद दर्ज करायी गयी है और देरी का कोई स्पष्टीकरण भी प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नही दिया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र व प्रत्यक्ष साक्षी नही है कथित गवाहन हितबद्ध साक्षी है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

**4.** विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की घटना कारित करने में सक्रिय भूमिका है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर चुटैल जोनी के साथ लात घुसों से मारपीट कर मरणासन्न हालत में जंगल में डाल दिया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

**5.** अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में निम्न तथ्य विधारणीय है–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता,

2 अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या यह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है,

3. न्याय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता, और

4. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

**6.** प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया के पुत्र के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों व लात घुसों से मारपीट करके अधमरा हालत में जंगल में डालने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त मामले की घटना दिनांक 06.04.2025 की दर्शायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर लगभग एक माह के विलम्ब से दिनांक 02.05.2025 को दर्ज करायी गयी है। चुटैल ने अपने बयान में लडकी का मामला बताया है। चुटैल की कोई भी 'इंजरी रिपोर्ट' उपलब्ध नहीं है। चुटैल के जो भी मेडिकल प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, उन प्रपत्रों में डाक्टरों द्वारा चुटैल को किडनी की समस्या बताई गयी है। सी0डी0 के पर्चा संख्या 10 में डा0 प्रदीप जैन के बयान भी पत्रावली उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने कथन किया है कि 'जोनी दिनांक 17.04.2025 को मेरे पास पेट दर्द की शिकायत में आया था। मेरे द्वारा

कुछ जरूरी खून व पैशाब के टेस्ट लेब से कराए गए जिसमें मरीज जोनी उपरोक्त के यूरिया 143 व क्रटिरयनीन 16.1 था। मरीज जोनी के गुर्दे में अत्यधिक परेशानी थी।' इस प्रकार उक्त डा0 ने अपने बयान में यह कथन नहीं किया है चुटैल को आयी चोंटे किस कारण आई है। विवेचक द्वारा अभियुक्त पर धारा 34(4) बीएनएसएस की नोटिस की तामीला नहीं करायी गयी है। सहअभियुक्तगण की अग्रिम जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2025 एवं 06.08.2025 को स्वीकार की जा चुकी है।

**7.** केस की प्रकृति, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्ते की संलिप्तता/भूमिका, पारिवारिक संबंधों तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय यह सुविचारित मत है कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **दीपक पुत्र धर्मेन्द्र कुमार** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की सूरत में आवेदक द्वारा मु० **50,000–50,000/– (पचास हजार रूपए – पचास हजार रूपए )** की मालियत के एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा आरोप विरचित किए जाने, साक्षीगण से जिरह किए जाने तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के बयान लेखबद्ध किए जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त वाद के निस्तारण में सार्थक सहयोग करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगा।

दिनांक–24.06.2026

**(विष्णु चन्द्र वैश्य)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, मुजफ्फरनगर।